

प्रेषक,

धीरज पाण्डे,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ०प्र०,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक:30 मार्च, 2018

विषय-अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्रेट स्थापना के अन्तर्गत मानक मद संख्या-14 मोटर गाड़ियों के क्रय के अन्तर्गत बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा रुपये 43.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1800/12-7 विविध/2007टीसी, दिनांक 27.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03 कलेक्ट्रेट स्थापना-03 महंगाई मद में रुपये 43.60 लाख की हो रही बचत को इसी लेखा शीर्षक के अन्तर्गत मानक मद संख्या-14 मोटर गाड़ियों के क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रुपये 43.60 लाख की बजट व्यवस्था (पुनर्विनियोग से सम्बन्धित प्रपत्र बी०एम०-9 भाग-1 संलग्न है) किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1- बचत की मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- 2- उक्त प्राविधानित धनराशि का व्यय अनुदान संख्या-50 लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन- आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03 कलेक्ट्रेट स्थापना के अन्तर्गत मानक मद संख्या-14 मोटर गाड़ियों के क्रय के मद में किया जायेगा।

संलग्नक:-यथोपरि

भवदीय,

(धीरज पाण्डे)
विशेष सचिव।

संख्या-652(1)/एक-4-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम) उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार लेखा परीक्षा, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 3- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5।
- 4- वित्त(वित्त-वेतन आयोग) अनुभाग-1/2।
- 5- राजस्व अनुभाग।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।